चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-5’’ के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-5’’ के तहत आज दिनांक 07.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ‘‘एंटी रोमियो स्क्वायड’’ टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 07.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 यूटी0 श्री नीरज कुमार तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी करन सिंह द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र डिलुवा निवासी छिपटहरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 23 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.07.2024 को वादी द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी कि गुजरात निवासी योगेश शर्मा उनकी 17 वर्षीय नाबालिक भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 122/2024 धारा 137(2) बीएनएस बनाम योगेश शर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा द्वारा मुकदमें की विवेचना एवं पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह को निर्देशित किया गया था। विवेचक द्वारा पीड़िता को बरामद किया गया तथा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के बयान कराये गये। निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 07.10.2024 को अभियुक्त योगेश शर्मा पुत्र गनेश भाई शर्मा निवासी सी-25 शुभम पार्क सोसाइटी नगर थाना कलाना जिला भरुछ गुजरात उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पीडिता के मेडिकल परीक्षण एवं माननीय न्यायालय में बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

योगेश शर्मा पुत्र गनेश भाई शर्मा निवासी सी-25 शुभम पार्क सोसाइटी नगर थाना कलाना जिला भरुछ गुजरात

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.निरीक्षक अपराध श्री अंजनी कुमार सिंह थाना सरधुवा
2.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल
3.आरक्षी नरेन्द्र कुमार
4.आरक्षी शक्ति सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी ने नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 30.03.2024 को वादी द्वारा थाना सरधुवा में सूचना दी कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिक पुत्री को एक अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 53/2024 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना, पीड़िता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तार हेतु प्रभारी निरीक्षक सरधुवा स्वयं प्रयासरपत थे कि इन्ही प्रयसों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा एवं उनकी टीम द्वारा दिनाँक 04.10.2024 को बरामद किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराते हुये माननीय

न्यायालय के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के बयान कराये गये। प्रभारी निरीक्षक सरधुवा एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 07.10.2024 को अभियुक्त राजू कुमार पुत्र गंगवा अहिरवार निवासी कलाना थाना मुरका जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण एवं माननीय न्यायालय में बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राजू कुमार पुत्र गंगवा अहिरवार निवासी कलाना थाना मुरका जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी

2.आरक्षी धर्मेन्द्र द्वितीय

3.आरक्षी राहुल पुरी

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्येवक्षण में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप पुलिस टीम ने जान से मारने की नियत से फायर करने वाले 02 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 24.06.2024 को वादी श्री कमलेश पटेल पुत्र रामस्वरुप निवासी लोखरिया मजरा बंदरी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप में सूचना दी थी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर जान से मारने की नियत से फायर किया है। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 102/2024 धारा 307 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष भरतकूप द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री रामकुमार को निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री रामकुमार तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनाँक 06.10.2024 को विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.कपिल शर्मा पुत्र राममिलन निवासी बजरंगपुर थाना फतेहपुर जनपद बांदा 2.मनफूल उर्फ पवन कुमार पुत्र सूरजपाल श्रीवास निवासी मोहल्ला डुमरौली फतेहगंज थाना फतेहगंज जनपद बांदा को मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 90 एबी 0368 होरी एक्सट्रीम के साथ गिरफ्तार किया गया, जामा तलाशी से अभियुक्तों को कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये।

अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा बरामदशुदा मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों को विवरणः-

1.कपिल शर्मा पुत्र राममिलन निवासी बजरंगपुर थाना फतेहपुर जनपद बांदा

2.मनफूल उर्फ पवन कुमार पुत्र सूरजपाल श्रीवास निवासी मोहल्ला डुमरौली फतेहगंज थाना फतेहगंज जनपद बांदा

बरामदगीः-

(i).घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

(ii).01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

(iii).01 अदद खोखा कारतूस 315

(iv). घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी0 90 एबी 0368 होरी एक्सट्रीम

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामकुमार थाना भरतकूप
2.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह
3.उ0नि0 यूटी0 श्री उत्कर्ष सिंह
4.मुख्य आरक्षी शैलेन्द्र सिंह
5.आरक्षी रणवीर सिंह

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 223/2014 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अल्पनारायण पुत्र कृष्णगोपाल निवासी छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।